"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-01-03."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 27]   रायपुर, सोमवार, दिनांक 23 जनवरी 2006—माघ 3, शक 1927

वित्त तथा योजना विभाग
[वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग]
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 23 जनवरी 2006

अधिसूचना

क्रमांक एफ-10/8/2006/वाकर(आब.)/पांच (2).—छत्तीसगढ़ देशी स्पिरिट नियम, 1995 के नियम 3-ख द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, नीचे दी गई सारणी के कॉलम नं. (1) में वर्णित अनुज्ञप्ति के लिये, सारणी के कॉलम नं. (2) में यथादर्शित वार्षिक अनुज्ञप्ति फीस विहित करती है :—

सारणी

अनुज्ञप्ति का प्रकार (1)	वार्षिक अनुज्ञप्ति फीस (2)
सी.एस. 1-ख देशी मदिरा के विनिर्माण तथा बोतल भराई के लिए अनुज्ञप्ति.	रुपये 2,00,000/-

2. यह अधिसूचना दिनांक 1 अप्रैल, 2006 से प्रभावशील होगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमिताभ जैन, सचिव.

रायपुर, दिनांक 23 जनवरी 2006

क्रमांक एफ-10/8/2006/वाकर(आब.)/पांच (2).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10/8/2006/वाकर (आब.)/पांच (2), दिनांक 23 जनवरी, 2006 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमिताभ जैन, सचिव.

Raipur, the 23rd January 2006

NOTIFICATION

No. F-10/8/2006/CT (Ex.)/V (2).—In exercise of the powers conferred by Rule 3-B of Chhattisgarh Country Spirit Rules, 1995, the State Government, hereby prescribed the annual licence fees as shown in column No. (2) of the table given below for licence mentioned in the corresponding entry in column No. (1) of the table thereof :—

TABLE

Kind of Licence (1)	Annual Licence Fee (2)
C.S. 1-B Licence for the manufacture and bottling of country liquor.	Rupees 2,00,000/-

2. This notification shall come into force w.e.f. 01st April, 2006.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
AMITABH JAIN, Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2006.